

कार्यालय-मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल

पत्रांक-मान्यता (आर0टी0ई0)/
सेवा में,

7858-60

/अंग्रेजी नवीनीकरण/2020-21 दि०-01.03.2021

प्रबन्धक/व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य,
पर्वत पब्लिक स्कूल देवला, मल्ला गोलापार
हल्द्वानी, नैनीताल
कोड संख्या-

विषय-

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के नियम-17 के उप नियम
(5) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता नवीनीकरण का प्रमाण पत्र।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक 8856-59/अंग्रेजी मान्यता /2013-14 दिनांक-06.02.2014 द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक विद्यालय संचालन हेतु दि० 05.02.2014 से दि० 06.02.2017 तक प्रख्यापित शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन नवीन औपबन्धिक मान्यता की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसके नवीनीकरण हेतु दि० 18.07.2017 द्वारा दि० 06.02.2020 तक नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। आपके स्वघोषणा प्रपत्र एवं खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण आख्या दिनांक 21.08.2020 व संस्तुति के आधार पर आपके विद्यालय पर्वत पब्लिक स्कूल देवला, मल्ला गोलापार हल्द्वानी नैनीताल को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक विद्यालय संचालन हेतु दि० 01.04.2020 से दिनांक-31.03.2025 तक आगामी 5 वर्ष के लिए नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त के अतिरिक्त अन्य मान्यता की शर्तें इस कार्यालय के पत्रांक-8856-59/ अंग्रेजी मान्यता/2013-14 दिनांक-06.02.2014 द्वारा दी गयी औपबन्धिक मान्यता नवीन के अधीन एवं परिशिष्ट-4 के शर्तों के रूप में रहेंगी।

01.मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

02.विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।

03.विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं शिक्षा से वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा ताकि उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

04.उपरोक्त कम संख्या-3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय का निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।

05.संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

06.विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।

07.विद्यालय द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेंगे-

(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

(दो) किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

(तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने के आवश्यकता नहीं होगी।

(चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(पांच) अधिनियम के प्राविधानों के आलोक में निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

(छः) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा। इस संबंध में समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।

(सात) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वाहन करेंगे।

(आठ) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।

08. विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

09. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मापदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी की आख्या के अनुसार वर्ष 2019-20 से आगामी वर्ष के लिए मान्यता प्रदान की जा रही है। मानकों का उल्लंघन पाये जाने पर मान्यता का प्रत्याहरण किया जायेगा।

• विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल-	95000 वर्ग फीट
• कुल निर्मित क्षेत्र-	30000 वर्ग फीट
• खेल का मैदान-	है।
• कक्षा-कक्षों की कुल संख्या-	18
• प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह भण्डार कक्ष-	01
• शौचालय बालक/बालिका-	है।
• पेयजल सुविधा-	है।
• मध्यान्ह भोजन के लिए रसोई-	-
• वाधा रहित-	है।
• शिक्षण अधिगमन सामग्री-	खेलकूद/पुस्तकालय उपलब्ध है

11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जाएगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं किया जाएगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जाएगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यवसायिक हेतु नहीं किया जाएगा।

13. विद्यालय सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन अधिनियम (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के अन्तर्गत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

(03)

14. विद्यालय किसी व्यक्ति समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियामक के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
16. राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर मांगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन विद्यालय संचालन द्वारा किया जायेगा।
17. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीनीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
18. विद्यालय द्वारा गरीब छात्रों के सहायतार्थ बुक बैंक की स्थापना की जायेगी।
19. परिशिष्ट-4 के रूप में संलग्न अन्य शर्तें पूर्व में उपलब्ध करायी गयी हैं।
20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
21. बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय तथा शासन/विभाग द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

भवदीय,

(के०के० गुप्ता)

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
नैनीताल।

पृ०सं०- मान्यता (आर०टी०ई०)/ 7858-60 /अंग्रेजी नवीनीकरण/2020-21 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।
02. संबंधित खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी।
03. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
नैनीताल।